[8/3/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 2237]

परिशिष्ट–1

क्र.	पदस्थ अधिकारी	पदनाम
1	2	3
1.	श्री राकेश कुमार पाठक	व.स. एवं पदेन वमंअ उमरिया
2.	श्री टी.एस.चतुर्वेदी	व.स. एवं पदेन वमंअ उमरिया
3.	श्री. आर.पी.एस. बघेल	व.स. एवं पदेन वमंअ उमरिया
4.	श्री एम.एल. लाड़िया	व.स. एवं पदेन वमंअ उमरिया
5.	श्री देवांशु शेखर	वमंअ उमरिया
6.	श्री डी.एस.कनेश	व.स. एवं पदेन वमंअ उमरिया
7.	सुश्री वासु कन्नौजिया	वमंअ उमरिया
8.	श्री एम.एस.भगदिया	वमंअ उमरिया
9.	श्री आर.एस.सिकरवार	व.स. एवं पदेन वमंअ उमरिया

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष 3)
मंत्रालय, भोपाल

अपर प्रबंध संचालक (प्रशासन)
म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ
भोपाल

परिशिष्ट-2

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2237 के प्रश्नांश–घ से संबंधित शिकायतवार कार्यवाही विवरण

शिकायत प्राप्ति का माध्यम	शिकायत इस कार्यालय में प्राप्त होने का दिनांक	शिकायत का विषय	की गई कार्यवाही का विवरण
लोक सेवा प्रबंधन विभाग शिकायत नंबर–पी.एस.एम.10147622 दिनांक 13.5.2019	14.6.2019	श्री आर.डी.महला, मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त जबलपुर द्वारा करोड़ों रुपयों की आर्थिक क्षति पहुंचाने कारण तत्काल निलंबित कर जबलपुर हटाए जाने बाबत्।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2098 दिनांक 28.6.2019 से शिकायत जांच हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (समन्वय) वृत्त प्रभारी जबलपुर को प्रेषित की गई है जांच प्रचलित है।
मान0 वनमंत्री जी कार्यालय का पत्र क्रमांक/2095/मंत्री वन/2019 दिनांक 25.11.2019	30.11.2019	कटनी जिले के बहोरीबंद के ग्राम निमास के खसरा नं0 220 में किये गये ड्रोन सर्वे रिपोर्ट को वर्तमान मुख्य वन संरक्षक मध्यवृत्त जबलपुर द्वारा अमान्य करने की जांचकर श्री आर.डी.महला, के विरुद्ध कार्यवाही करने बाबत्।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4547 दिनां 11.12.2019 से शिकायत जांच हेतु मु वन संरक्षक जबलपुर को प्रेषित की है। अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 76 दि 14.8.2020 से स्मरण कराया गया। प्रचलित है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (एक 3)
मंत्रालय भोपाल

(डॉ.समीता राजोरा) 19/2/21
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता/शिकायत)
मध्य प्रदेश, भोपाल

परिशिष्ट - 3

122

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 9-42/2017/10-1 भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर, 2020

प्रति,

श्री आर.डी. महला
तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त
वर्तमान में मुख्य वन संरक्षक, जबलपुर वृत्त

द्वारा :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन-1, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

कारण बताओ सूचना-पत्र

---000---

दिनांक 07 सितम्बर, 2017 को सम्पन्न समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम के दौरान श्री नानकराम बघेल, ग्राम रोहणी तहसील पुनासा जिला खण्डवा, म.प्र. के प्रकरण को बिना समाधान के फोर्स्ड क्लॉज करने के कारण विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-42/2017/10-1 दिनांक 02.11.2017 द्वारा आपके विरूद्ध अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम-10 अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जाकर आरोप पत्र जारी किया गया है।

आपके द्वारा प्रेषित बचाव उत्तर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र. से अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् परीक्षणोपरांत स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत बचाव उत्तर समाधानकारक नहीं है। आवेदक की शिकायत का समाधान नहीं होने के कारण सी.एम. हेल्पलाईन का प्रकरण लंबित रखा जाना था जब तक कि समाधान न हो जाय। परन्तु आपके स्तर पर प्रकरण को Forced close किया गया। अतः उक्त हेतु आपको अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के नियम 6(1)(iv) के तहत "एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने" की शास्ति अधिरोपित की जाना प्रस्तावित है।

अतएव आपको उक्त प्रस्तावित शास्ति पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर एतद्द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रस्तावित शास्ति के विरूद्ध कोई भी पक्ष जिसे आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, पर अनुशासनिक अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। ऐसा पक्ष यदि कोई हो आपको इस ज्ञाप की प्राप्ति की तिथि से 15 दिवस से अनधिक समय में विभाग को लिखित में प्रस्तुत करें।

सूचना पत्र पाने की दिनांकित पावती दें।

(राजेश ओगरे)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9-42/2017/10-1 भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन-1 की ओर पत्र की प्रति प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त पत्र श्री आर.डी. महला, भावसे-1989 मुख्य वन संरक्षक, जबलपुर वृत्त को तामील कराकर पावती इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार

उप सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष 3)